Page 1 of 2

कार्यालय : नगर आयुक्त,
नगर निगम लखनऊ

संख्या 336/स्वा०/पर्या० अधि० /न०नि०लख०

दिनांक 02.02.2018

आदेश

विदित हो कि लगभग 20 करोड की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 5.30 करोड़ व्यस्क लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते है। (52 प्रतिशत पुरुष एवं 18 प्रतिशत महिलाएं) धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से लोगो में कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियाँ एवं अकाल मृत्यु/अपंगता पायी जा रही है. इसके अतिरिक्त, जहाँ एक तरफ बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रावधानित किये गए धनराशि को बीमार व्यक्तियों के उपचार में आर्थिक सहायता के रूप में खर्च करना पड़ता है जिसके कारण प्रदेशवासियों का विकास प्रभावित होता है. देश में तम्बाकू जनित गंभीर बीमारियों से प्रतिवर्ष 12 लाख लोंगो की मृत्यु होती है जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है।

वर्ष 2010 एवं 2016 के वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (GATS) के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि देश में तो तम्बाकू सेवन करने वालों की संख्या में 6 प्रतिशत की कमी आयी है किन्तु उत्तर प्रदेश में तम्बाकू सेवन करने वालों की संख्या में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि अधिक आबादी वाले प्रदेश के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है।

लखनऊ शहर प्रदेश के अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है जहाँ पर तम्बाकू पदार्थो का अधिक लोंगो द्वारा सेवन तो किया ही जाता है, साथ ही यहाँ पर उसका निर्माण, आयात एवं बिक्री भी की जाती है जिससे लोगों में पैदा होती गंभीर बीमारियों के मद्देनजर नियंत्रण एवं रोकथाम करना अति आवश्यक हो गया है।

भारत सरकार द्वारा तम्बाकू के उपयोग को नियंत्रित कर इससे होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तम्बाकू (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन (कोटपा–2003) लागू किया गया है। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियग (कोटपा–2003) के माध्यम से अवस्यकों, कम उम्र के युवाओं एवं जन समूह द्वारा तम्बाकू उत्पाद के उपयोग को रोकने, तम्बाकू की हानिकारक लत से बचाने तथा तम्बाकू उत्पादों के प्रचार–प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाना है।

अवस्यकों एवं कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या D.O. No. P-16012/14/2017-TC, दिनांक 21 सितम्बर 2017 के माध्यम से सूचित किया गया है कि तम्बाकू उत्पाद के विक्रय करने वाले दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना है। साथ ही तम्बाकू उत्पादों के व्यापारियों/दुकानदारों को नगर निगम या स्थानीय निकायों से लाइसेंस/अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त कर इस का विक्रय करने का सुझाव दिया है।

विदित हो कि अवस्यकों एवं किशोरों को तम्बाकू से दूर रोकने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक/नशीला पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है।

मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा साथ ही साथ किसी खाद्य उत्पाद के घटक के तौर पर तम्बाकू एवं निकोटिन का उपयोग प्रतिषिद्ध

करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 पारित किया गया है। तम्बाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए कई राज्य सरकारों द्वारा अपने सम्बंधित नगर पालिका अधिनियम एवं विनियम के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के भण्डारण, प्रसंस्करण तथा विक्रय को खतरनाक एवं आक्रामक व्यापार के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 2(46) के अंतर्गत लोंगो के स्वास्थ्य पर खतरनाक एव जानलेवा प्रभाव डालने के कारण तम्बाकू से बने उत्पाद अपदुषण है। इस अधिनियम की धारा 114 (xii एवं xix) के अंतर्गत संसर्गिक, संक्रामक एवं खतरनाक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा आपत्तिजनक तथा खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकों एवं कार्यों का विनयमन तथा उनको समाप्त किये जाने के लिए तार्किक एवं आवश्यक प्रावधान बनाने की लखनऊ नगर निगम का अनिवार्य कर्तव्य है। इसी अधिनियम की धारा 437 के अंतर्गत नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भवन या भूमि में सार्वजनिक अपदुषण पैदा करने वाली वस्तु का निर्माण, संग्रह, व्यवहार या निस्तारण के लिए को नगर आयुक्त रोक सकता है और धारा 438 के अंतर्गत बिना नगर आयुक्त द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निबंधनो और शर्तो के अनुकूल कोईव्यक्ति किसी भू–गृहादी में या उसके ऊपर कोई ऐसा व्यापार या कार्य जो जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक हो, न सम्पादित करेगा है और नहीं सम्पादित करने की अनुज्ञा देगा।

नगर निगम के संज्ञान में आया है कि लखनऊ शहर के विभिन्न दुकानों/भवनों/परिसरों में तम्बाकू उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के ही की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का उल्लंघन है।

अतः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का विनिर्माण (किसी भी विधि द्वारा), विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण एवं सफाई लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबंधित है। साथ ही लाइसेंस/अनुज्ञप्तिधारक तम्बाकू विक्रेता उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का सख्ती से पालन करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)-2003 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे।

यदि कोई व्यापारी/दुकानदार/व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ उपर्युक्त कानून के अनुरूप दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी. सभी तरह के तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी/दुकानदार लखनऊ नगर निगम से लाइसेंस/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति प्राप्त कर तम्बाकू उत्पाद की बिक्री कर सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(उदयराज सिंह)
नगर आयुक्त

संख्या 336/पी०/प०स्व० अधि०/न० आ०

दिनांक 03.02.2018

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त जोनल अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विनोवा सेवा आश्रम, लखनऊ।

(उदयराज सिंह)
नगर आयुक्त